भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1827

(दिनांक 08.12.2021 को उत्तर के लिए)

यू.पी.एस.सी. स्तर पर लंबित मामले

1827. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि चयन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी यू.पी.एस.सी. स्तर पर निस्तारण के लिए बहुत से मामले लंबित पड़े हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का अध्ययन किया है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपयुक्त कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) **और (ख) :** जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा/भर्ती नियमों के नियमों के आधार पर प्रतिवेदित रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न समूह 'क' और समूह 'ख' सेवाओं/पदों हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए परीक्षाएं/भर्ती परीक्षण आयोजित करता है। नियुक्ति आदि का प्रस्ताव जारी करने के लिए परीक्षाओं/भर्ती परीक्षणों के माध्यम से चयनित, अनुशंसित उम्मीदवारों के ब्योरे/डोजियर तत्काल संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग/केंद्र शासित प्रदेश/सांविधिक निकाय को भेजे जाते हैं। पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन समिति की बैठकों की सिफारिशों को अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसी/अगले दिन अनुमोदित किया जाता है और इसे तत्काल संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है।

***